

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ए-2/विजेन्द्र कुमार सुरोलिया /2019 दिनांक 07.03.2019 द्वारा श्री विजेन्द्र कुमार सुरोलिया, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरानाबास जिला सीकर को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय-कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री सुरोलिया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 955/2019 विजेन्द्र कुमार सुरोलिया बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.04.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2019 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

चूंकि श्री सुरोलिया द्वारा माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में विद्यालय में ऑफलाईन कार्यग्रहण किया गया है, अतः उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यग्रहण सम्बन्धी प्रविष्टि करते हुए प्रधानाचार्य पद से सम्बन्धित समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। श्री सुरोलिया से सम्बन्धित यह आदेश पूर्णतया माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 13.05.2019

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/ए-2-7/विजेन्द्र/अपील/955/2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमकाथाना, सीकर को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) सीकर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)